

अंचल अधिकारी का कार्यालय धनबाद, सदर।

ज्ञापांक - 331

दिनांक 26/05/2023

प्रेषित,


श्री दिगविजय विक्रम सिंह
पिता - रामेश्वर सिंह
सा0 - मोदीडीह 10 न0 जोगता
धनबाद।

श्री राहुल कुमार सिंह राजस्व उप निरीक्षक, हल्का संख्या - 2 के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया है कि :-

मौजा - हीरापुर मौजा नं0 - 07 खाता नं0 -44 प्लॉट नं0 352 रकवा 5 कटठा भूमि खरीदी हुई है। जिसका दाखिल खारिज केस न0 2833 (II) 2007 - 2008 के द्वारा दाखिल खारिज होकर जमाबन्दी संख्या -4410 में श्री दिगविजय विक्रम सिंह पिता रामेश्वर सिंह, के नाम से जमाबन्दी कायम है। इस पंजी का ऑनलाईन भोलुम संख्या - 1 एवं पृष्ठ संख्या - 4410 है।

2. प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है।




26-05-23
अंचल अधिकारी

धनबाद

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No.: 210168140223120030

Date: 14-02-2023

प्रभावी: प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री श्रीमती सुधी DIGVIJAY VIKRAM SINGH S/O RAMESHWAR SINGH,
मोहल्ला NEAR DENOBAI SCHOOL JAY PRAKASH NAGAR GALI NO. 9 DHANBAD DHANBAD
DHANBAD - 826001
9835502155

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं* - 0200003859000M0 वार्ड सं* 20 हुआ है, आपके स्व* निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं*	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	250.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		250.00



नोट-

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- निम्नवाली कंडिका 11.4 के अलावा में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिमाउण्ट दी जाएगी।
- किसी देय पूति को निर्दिष्ट सम्पादधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- पत्र निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गतत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगी।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संप्रहित इस सम्पत्ति कर इन इम्प्लॉय/दांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होस्टिंग नंओ का अखिरी अंक 50/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

To be signed by the Applicant